



राजि. मं. एल. डब्लू./एन. पी. 896 क्षाइसेन्स नं० डब्स्० पी०—41 लाइसेन्स द् पोस्ट एटि कन्संश्रमल 📬

# सरकार द्वारा

# ग्रस्थार्य

# THE TUNE

भाग---1, खण्ड (क) (उत्तर प्रदेश ग्रधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 23 फरवरी, 1998

फाल्गुन 4, 1919 शक सम्वत्

# उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी ग्रनुभाग-1

संख्या 425/सवह-वि-1--1 (क)-15-1997 लखन**क**, 23 फरवरी, 1998

श्रधिसूचना

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997 पर दिनांक 10 फरवरी, 1998 की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1998 के रूप में सर्वसाधारण की सूचना व इस भविसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) ग्रिधिनियम, 1997

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1998)

[जैसा उत्तर प्रदेश विद्यान मण्डल द्वारा पारित हुआ ]

रुड़की विश्वविद्यालय ऐक्ट, 1947 का भग्नतर संशोधन करने के लिए

## श्रधिनियम

चूंकि इंजीनियरिंग और विज्ञान शिक्षा और ग्रनुसंधान के क्षेत्र में रुड़की विश्वविद्यालय की एक शानदार विरासत श्रौर परम्परा रही है श्रौर उसने एक प्रतिष्ठित स्थिति प्राप्त कर ली है;

और चूंकि विश्वविद्यालय को उत्कर्ष के केन्द्र के रूप में विकसित करने की दृष्टि से उसकी विद्या परिषद् भीर वित्त समिति का गठन करने भीर उसकी लिनेट श्रीर सिडीकेट को पुनर्गिठत करने के लिए और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को सुकर तथा दक्षतर बनाने के लिए रुड़की विश्वविद्यालय ऐयट में भ्रन्य संशोधन करना श्रावश्यक हो गया है;

अतएव, श्र**ह, भारत गणराज्य के श्र**ड़तालीसर्वे वर्ष में निस्तिलिखित श्रधिनियम बनाधा जाता है :--

# संक्षिप्त नाम श्रीर प्रारम्भ

- ा । --(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एड्की विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम,
- . (2) यह ऐसे विनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, ग्रिधिसूचना, द्वारा इस निमित्त नियत हरे।

संयुक्त प्रान्त ऐस्ट संख्या १ सन् 1948 की धारा 2 का प्रतिस्थापन

2 -- एड्डो विश्वविद्यालय (यूनिवितिटी) ऐक्ट, 1947 की, जिसे आगे मूल प्रधिनियम कहा गया है, धारा 2 के स्थान पर निस्नलिखित धारा रख दी जायेगी, ग्रथित् :—

''2--इस ऐक्ट भें,--

परिभाषायें (क) 'विद्या परिषद्' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् भे हैं;

- (छ) 'शैक्षणिक विभाग (एक्षेडेनिक डिपार्टमेन्ड)' का तात्पर्य विश्व-विद्यालय के किसी शिक्षण विकास से है जिसमें ऐसा शिक्षण दिया जाता है जिसकी परिणति स्वातक या स्वातकोत्तर डिग्नी या डिप्लोमा में होती है;
- (ग) 'पौक्षणिक केन्द्र' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किसी ऐसे बिद्यालय, केन्द्र, प्रयोगशाला, संस्थान या ऐसी ही किसी संस्था में है जिसमें छन्संघान, शिक्षण या प्रशिक्षण का कार्य किया जाता हो, किन्तु जो खण्ड (ख) के शबीन न ग्राता हो;
- (घ) 'अष्ययन बोर्ड' का तात्पर्य किसी शैक्षणिक विभाग या शैचणिक केन्द्र के प्रध्ययन बोर्ड से है जो रेगुलेशन के अनुसार गठित किया गया हो;
- (ङ) 'संकायाध्यक्ष' का तात्पर्य े गुलेशन के श्रन्तार नियुद्ध किसी संकायाध्यक्ष से है;
- (च) 'निवेशक या समन्वयकर्ता' का तात्पर्ध रेगुलेशन के अनुसार इस कप में नियुक्त शैक्षणित केन्द्र के निवेशक या समन्वयक्ति से हैं;
  - (छ) 'वित्त समिति' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की वित्त तमिति से हैं;
- (ज) 'शैक्षणिक विभागाध्यक्ष' का तात्पर्य रेगुलेशत के अनुसार नियुक्त किसी शैक्षणिक विभाग के प्रध्यक्ष से हैं;
- (झ) 'छात्रालय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा पोवित या मान्यता प्राप्त निवास की इकाई ते है;
- (ञा) 'रजिस्दर्ड ग्रेजुएट' का तात्पर्य धारा 20 के अधीन सिडीकेट द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार रजिस्टर्ड ग्रेजुएट से है;
- (द) 'रेगुलेशन' का तात्पर्य धारा 21 के अजीन सिंडीकेट द्वारा बनायें गर्थ रेग्लेशन से है;
- (क) 'नियम' का तात्पर्य घारा 20 के श्रधीत िंडीकेट द्वारा बनावे गये नियम से हैं:
- (ड) 'अध्यापक (टीचर)' का तात्पर्ध प्रोफेसर, एसोसियेट श्रीकेसर, श्रसिस्टेन्ट प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर या ऐसे श्रन्य व्यक्ति से है जो विश्वतिद्यालय में शिक्षण का कार्य करता हो:
- (ह) 'विश्वविद्यालयं का तारपर्य इस ऐस्ट के अधीन स्थापित रहकी विश्वविद्यालय से हैं।''

# घारा ३ का संशोधन

3-- সুল এভিনিয়ম কী ঘারা 3 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख बी जायेगी, এর্থান্--

"(1) विश्वविद्यालय के चांसलर, वाइस-खांसलर, प्रो-बाइस-खांसलर, प्रदि कोई हो, खौर लिलेट, निजीकेट, विद्या पिटबद् ग्रीर वित्त समिति के स्वस्य को विश्वविद्यालय से तरसमय ऐते प्रविधारण कर रहे हों, से रुड़की विश्वविद्यालय क्षाक एक निगमित विकाद गरित होगा।"

# धारा 4 का संशोधन

4--मूल श्रविनिधम की धारा 4 में,--

- (एक) कण्ड (2) में, उपखण्ड (क) के स्थान पर किम्नलिखित उपखण्ड एक दिये जायेंगे, तथात--
  - "(क) जिन्होंने विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की हो ए कुछ शिक्षा विश्व-विद्यालय में ग्रोर कुछ किसी ऐसी संस्था में प्राप्त को हो जिनको विश्वविद्यालय न इन विभिन्न स्वीहृति प्रवान को हो; या

ः (फक) जिन्होंने विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा इस निभित्त स्वीकृत किसी संस्थान में ब्रनुसंघान कार्य किया हो ; या";

(दो) खण्ड (६) में शब्द "प्रोफेसरों" के पश्चात् शब्द "एसोसियेट प्रोफेसरों, भ्रसिस्टेस्ट प्रोफेसरों" बढ़ा दिये जायेंगे ;

(तीन) अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बंद्दा दिया जायेगा, अर्थात् :---

 $\odot$ 

"परन्तु विश्वविद्यालय राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के विना किसी स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण, विक्री, दान, वन्छक या तीस वर्ष से अधिक श्रविध के लिये पट्टे के रूप में नहीं करेगा।"

5--मूल श्रधिनियम की धारा 7 के पश्चात् निम्नलिखित धारा वहा दी जायेगी, श्रमीत्:--

घारा 7-क का बढ़ाया जाना

- "7-फ-(1) विश्वविद्यालय के सम्पूर्ण कार्य का पुनविलोकन करने के लिये विश्व-विश्वविद्यालय की विद्यालय की एक पुनविलोकन समिति होगी। पुनविलोकन समिति
- (2) उपद्यारा (1) में निविष्ट सिमिति में नौ सवस्य होंगे जो चांसलर द्वारा, उन स्विष्तयों में से जिन्होंने इंजीनियरिंग, श्रीद्योगिकी या विज्ञान के सिद्ध में उत्कृष्टता श्राप्त की हो, नामजब किये जायेंगे।
- (3) पुनिवलोकन समिति के सबस्य चांसलर के प्रसाद पर्यन्त पद छ। रण करेंगे और ऐसी सुविधार्य और मानदेय प्राप्त करेंगे जैसा नियमों ह्वारा निर्धारित किया जाय।
- (4) उपदारा (1) के श्रधीन रहते हुए, उसमें निविद्ध समिति उसर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) श्रधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के विनांक से प्रत्येक तीन वर्ष की संमाध्ति पर विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्य का स्वतंत्र रूप से पुनर्विज्ञाक्षम करेगी और श्रपनी रिपोर्ट चांसलर को प्रस्तुत करेगी जो उस पर ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जैसी वह ऐसट के श्रधीन समीचीन और श्रावश्यक समझे।"

6--मूल श्रविनियम की घारा 10 के स्थान 'पर निम्नलिखित घारा रख दी जायेगी,

घारो 10 का प्रतिस्थापन

11.79

- "10—(1) द्यांसलर, वाइसचांसलर की नियुक्त न्यूनतम तीन ऐसे इंजीनियरीं, वज्ञानिकों या प्रौद्योगिकी दियों की सूची में से करेगा जिन्हें कोई वाइसचांसलर ऐसी कपेटी मनोनीत करे जिसमें इंडियन नेशनल अकेडेबी आक इंजीनियर्स के प्रेसीडेन्ट या इंट्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स के प्रेसीडेन्ट और राज्य सरकार के नियुक्त किये हुये दो अन्य सदस्य सम्मिलित हों। वाइसज्ञांतलर ऐसे नियन्धों पर ऐसी शर्तों के झ्रोन रहते हुये अपने पद पर ऑक्ड्र रहेगा, जैसी नियसों हारा निर्धारित की जाये।
- (2) जहां छुट्टी पर जाने या रोगग्रस्त होने या किसी भ्रन्य कारण से बाइसचीसलर का पद भ्रस्थायी रूप से खाला हो जाय, श्रीर——
- (एक) ऐसी रिक्ति दो मांस ते ध्रनिधक की भ्रविध के लिये है, यहां श्रो-वाइस-चांसलर यदि कोई निषुक्त हो, या यदि कोई श्रो-वाइस-चांसलर न हो या श्रो-वाइस-चांसलर भी भ्रनुपस्थित हो तो विश्वविद्यालय का उपछ्ठतम श्रोफंतर यो मांस की श्रविध की समाप्ति तक या वाइस-चांसलर के पद की रिक्ति भरने तक या श्री-वाइस-चांसलर, बंदि कोई हो, के कार्यभार प्रहण करने तक, इनमें को भी पड्ले हो, बाइस-चांसलर की शक्तियों का प्रयोग और कई व्याका पालन करेगा;
  - (दो) ऐसी रिवित दो नास से अधिक अविधि हो लिये है, वहां वांसलर किसी उपयुक्त इंबीनियर, वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् को वाइस-प्रांसलर के पद पर छ: मास से अनिधक अविधि के लिये, जो समय-समय पर एक वर्ष की कुल अविधि तक के लिये, जिसमें मूल आदेश में निधत अविधि भी है, वढ़ाई जा सकती है, नियुक्त कर सकता है।"

# 7---मूल अधिनियम की धारा 11 में,---

(क) उपधारा (1) में, शब्द ''सिडीकेट का मेम्बर और उसका चेयरमैन होगा और'' के स्थान पर शब्द ''सिडीकेट का मेम्बर और विद्या और बित्त सिनित का चेयरमैन होगा श्रीर'' रख दिये जायेंगे;

(ख) जपघारा (3) में, शब्द "सिनेट श्रीर सिढीकेट" के स्थान पर शब्द "सिनेट, सिढीकेट, विद्या परिषद् श्रीर विस्त सिमिति" रख विषे जायेंगे।

धारा 11 का संशोधन धारा 12 का प्रतिस्थापन 8--मूल ग्राधिनियम की धारा 12 के स्थान पर निम्नलिखित घारा एख दी जायेगी ग्रथीत्--

- "12---(1) बाइस-चांसलर, यदि वह श्रावश्यक समझे, विश्वविद्यालय के से ज्येष्ठतम प्रोफेसरों में से एक को प्रो-वाइस-चांसलर नियुक्त प्रो-वाइस-चांसलर कर सकता है।
- (2) प्रो-बाइस-चांसलर, प्रोफेसर के रूप में प्रपने कर्तव्यों के श्रीतिरिक्त श्र्वी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
  - (3) प्रो-बाइस-बांसलर, बाइस-चांसलर के प्रसाद पर्यन्त पद घारण करेगा।
- (4) प्रो-वाइस-चांसलर ऐसी सुविधायें ग्रीर ऐसा मानदेय प्राप्त करेगा, जैसे नियमों द्वारा निर्धारित किया जाय।
- (5) प्री-वाइस-चांसलर ऐसे विषयों में, जैसे वाइस-चांसलर द्वारा समय-सम्बेष्ट विनिर्देश्ट किये जायं, वाइस-चांसलर की सहायता करेगा, ऐसी शिवतयों का प्रयोग ग्रीर ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जैसे वाइस-चांसलर द्वारा सौंक्ष्या प्रत्यायोजित किये जायें ग्रीर वाइस-चांसलर की अनुपिस्थिति, में वाइस-चौसलें की शिवतयों का प्रयोग ग्रीर कर्तव्यों का पालन करेगा।"

धारा 13 का संशोधन 9--मूल श्रविनियम की घारा 13 में, शब्द "सिनेट और सिहोकेट के सेकेटरी की हैसियत से काम करेगा" के स्थान पर शब्द "सिनेट, सिहोकेट, वित्त समिति और विद्यापिषद के सेकेटरी की हैसियत से काम करेगा और नियमों द्वारा निर्धारित रीति से नियुक्त किया जायगा।" रख दिये जायेंगे।

धारा 15 का संशोधन 10--मूल श्रधिनियम की घारा 15 में, खण्ड (2) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ी दिये जायेंगे, श्रथित्--

"(2-क) विद्यापरिषद्;

(2·ख) विस्त समिति।"

धारा 16 का प्रतिस्थापन 11--भूलं श्रविनियम की घारा 16 के स्थान वर निम्नतिखित घारा रख दी जायेगी हैं सर्यात्--

"16-(1) सिनेट में निम्नलिखित सदस्य होंगे, प्रर्थात्--

सिनेट

श्रेणी-एक-पदेन-सदस्य :--

(एक्रं) चांसलर;

(day) auda a

(दो) बाइस-चांसलर;

(तीन) प्रो-बाइस-चांसलर, यदि कोई हो;

- (चार) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, प्राविधिक शिक्षा विभाग या उसके द्वारा नामजद व्यक्ति जो संयुक्त सचिव स्तर से कप का न हो;
- (पांच) समस्त संकायाध्यक्षः
- (छः) समस्त शैक्षणिक विभागों के भ्रष्टयक्ष श्रीर समस्त शैक्षणिक केन्द्रों के निदेशक या समन्वयकर्ता;
- (सात) रजिस्ट्रार;

# श्रेणी-दो-ग्राजीवन सवस्य :---

- (श्राठ) तील से ध्रनधिक व्यक्ति, जिनको चांसलर नाम से इस कारणें श्राजीवन सदस्य नियुक्त करे कि उन्होंने इंजीसियरिंग ध्रीर प्रौद्योग गिक विज्ञान या शिक्षा में विशिष्टता प्राप्त की है या उनकी प्रशंसनीय सेवा की है;
  - (नौ) ऐसे समस्त व्यक्ति जिम्होंने विश्वविद्यालय की या उसके उद्देश्यों के लिये कम से कम दस लाख रुपये दान दिया है;
  - (इस) ऐसे समस्त व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) श्रविनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक को श्राजीवन सदस्य हों;

श्रेणी–तीन–संसद श्रीर राज्य विघान मण्डल के प्रतिनिधि:⊸-

(ग्यारह) लोक समाकें दो सदस्य जिन्हें लोक समा के श्रवण्य द्वारा नामजब किया जायेगा;

(द्वारह) राज्य सभा का एक सदस्य जिसे राज्य समा के सभापति द्वारा नामजद किया जायेगाः;

(तेरह) राज्य विदान सभा के चार सबस्य जिन्हें उसके द्वारा निर्वाचित किया जायेगा;

(चौदह) राज्य विघान परिषद् के वो सबस्य जिन्हें उसके द्वारा निर्याचित किया जायेगा ;

# श्रेणी-चार--रजिस्टर्ड ग्रेजुएट:--

()

(पम्बह) विश्वविद्यालय के रिजस्टर्ड ग्रेजुएटों के दस प्रतिनिधि, जिन्हें नियमों द्वारा निर्धारित रोति से निर्वाचित किया जायेगा;

# क्षेणी-पांच--- ग्रध्यापकों के प्रतिनिधि:---

(सोलह) विश्वविद्यालय को तीस ब्रध्यापक, उनके सिवाय जो किसी ब्रन्य हैसियत में उसके पहले से सदस्य हों, को क्रपने में से निर्वाचित किये जायों । श्रध्यापकों की विभिन्न खेणियों की संख्या और उनके निर्वाचन की रीति ऐसी होगी जैसी नियमों द्वारा निर्धारित की जाय:

परन्तु इस प्रकार एक बार निर्वाचित सबस्य की सदस्यता उस श्रविध के दौरान जिसके लिये वह इस प्रकार निर्वाचित किया गया था, केवल इस कारण से समान्त नहीं हो जायेगी कि उसे ग्रध्यापकों की किसी उच्चतर श्रेणी में नियुष्त कर दिया गया था;

# श्रेणी-छ:--शिक्षणेतर कर्मचारियों के प्रतिनिधः-

(सत्रह्) विश्वविद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों के चार प्रतिनिधि जिन्हें वाइस-चांसलर द्वारा नामजब किया जायेगा;

श्रेणी—सात---राज्य सरकार द्वारा नामजः किये जाने वाले ध्रन्य सदस्य, जो निम्नलिखित विशेष हितों या क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हों, ध्रश्रत:--

(श्रठारह) इन्स्टीट्यूशन श्राफ इंजीनियसं (इंडिया) का एक प्रतिनिधः

(उन्नीस) सार्वजनिक स्रोत के उद्योगों, निगमों, अनुसंघान, रक्षाः (ছিफ्টन्स) या अन्य संगठनों के छः সমিনিছি;

(बीस) निजी क्षेत्र के उद्योगों या संगठनों के तीन प्रतिनिधि;

(इक्कीस) रेलवे श्रीर राज्य सरकार के लिचाई श्रीर लोक निर्माण विभागों के एक-एक प्रतिनिधि;

(बाईस) विश्वविद्यालय के ख्रास-पास के खीद्योगिक संगठनों के वो प्रतिनिधि;

(तेईस) विश्वविद्यालय के श्रास-पास के श्रनुसंघान संस्थाओं के वो प्रतिनिधिः

(चौबीस) विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षिक विषयों (डिसिप्लिन) के वृत्तिक निकायों के दो श्रतिनिधि;

(पच्चीस) राज्य के विश्वविद्यालयों, संस्थानों ध्रौर महाविद्यालयों के, जिनमें इन्जीनियरिंग या टेक्नोलाजी में डिग्री पाठ्यक्रम हो, क्रमशः वाइस-चौसलरों, डायरेक्टरों ध्रौर प्रिन्सियलों में से तीन प्रतिनिधि।

(2) उपधारा (1) में, निदिष्ट धेणी तीन, चार, पौच ग्रीर सात के किसी सबस्य की पदावधि तीन वर्ष होगी ग्रीर उक्त उपधारा में निविष्ट थेणी छः के सबस्य की पदावधि, एक वर्ष होगी जो, ययास्थिति, उसके निर्वाचन या नामजब किये जिले के पश्चात् सिनेट की प्रथम बैठक होने के दिनौक से प्रारम्भ होगी।

(3) कोई स्वाहन को लिनेट का जवन्य (जाहे निर्वाहन को नामजबनी हारा) कोई पर क्षिणे धारण करने के अकार पर हुआ ै, इस बात के होते हुये भी कि उसकी परावधि, यदि कोई हो, सन्धान नहीं हुई है, ऐसे थद विशेष पर न रह जाने पर ऐसा सबस्य नहीं रह आयेगा।

धारा 18 का प्रतिस्थापन 12--मूल अधिनियम को शारा 18 क स्थान थर निक्वितिखित खारा रख दो जायेगी, अर्थात्-

"18--(1) सिडीकेट विश्वविद्यालय की इनसीस्यृटिव बाडी होगी।

# सिडोकेट

- (2) सिडोफेट में निम्बर्लिखत तदस्य होंने, श्रयति—
  - (क) बाइस-बांसलः
  - (ख) प्रो-बाइस-बातलप, बांद कोई नियुक्त हों;
- (ग) तीन विश्वानाध्यक्ष और जैक्षणिक केन्ह्रों का एक निवेशक या सवन्वयकर्ता, जो नियमों द्वारा निर्दाणित रोति ते वकानुक्रम से विद्या परिषद् द्वारा नामजब किये जायेंगे;
  - (घ) छात्र करवाण का संकायाध्यकः
- (ड) अध्यापकों के नी अतिनिधः, दिवाय उपके की किसो अन्य हैतियत में सिडीकेट के पहले से सदस्य हों, जिन्हें तिनेट द्वारा निवासित किया जायेगा। अध्यापको की विभिन्त बोलियों की लेख्या और उनके निवासन की रीति ऐसी होती जैसी निक्सों द्वारा निक्सींत की आयः
- (च) चार व्यक्ति जिन्हें तिनेट शास समने ऐसे तदस्यों में से जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, विक्रान्तित किया जायेगा;
- (छ) मुविख्यात इंडोनिया सीर वास्तुवियों (बार्षिटेक्टों) में से हो ध्यक्ति को विश्वविद्यालय की देवा में न हों, जिन्हें निवसी हारा निर्धारित रीति से संस्तर हारा नानजद क्रिया जायेगा;
- (ज) पुविष्यात शिक्षािकशें और वैकाविकों में से सो व्यक्ति जो विश्व-विद्यालय की सेवा में ज हीं, जिन्हें नियकीं द्वारा विधारित रीति से चांत्रलर द्वारा नामजद किया जायेगा;
- (ञ्च) अस्तिव, उत्तर प्रदेश सरकार, प्रादिधिक शिक्षा विचाग या उत्तके हारा नामजद व्यक्ति जो संयुक्त सकित स्तर है कम का नहीं।
- (3) उपद्यादा (2) के लुड़ (0), (इ), (इ), (छ) और (ज) में निहिट सदस्यों की पदावांत्र तील वर्ष होती, की ययास्थित, उनके निवाचन या नामजब किये जाने के पश्चात् विवेड की श्रथम बैठक होने के दिनांक ते प्रारम्भ होती।
- (4) कोई क्वलित को सिलेट का तरस्य (यहि तर्वाचन या नाम जस्मो द्वारा) कोई पद विशेष धारण करने के आधार पर हुआ। हो, इस नात के होते हुये भी, कि उसकी पदावधि, यदि कोई हो, समाप्त नहीं हुई है, ऐसे पद विशेष पर न रह जाने के कारण ऐसा सदस्य नहीं रह आयेगा।

धारा 19 का संशोधन 13--मूल श्रिधिनियम की धारा 19 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा रख दो जायेगी, अर्थात् :--

"(3) निखेकेट श्रव्यापकों की संख्या और छहंताओं और एक्जामिनरों की देय फीस के सम्बन्ध में विद्या परिषद् की तंस्तुति पर विचार किये विना कोई विनिश्चय नहीं करेगा।"

नई धारा 19-क, 19-ख, 19-ग, और 19-घ का सहाया जाना 14--मूल प्रधिनियम की धारा 19 के पण्यात् निस्नलिखित धारायें वढ़ा दी जायेंगी, धर्मात्-

''19-क—(1) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक निकाय विद्या परिषद् होगी; (2) विद्या परिषद् में निम्निलिखित सदस्य होंगे, प्रयत्-श्रेणी-एक-पदेन तदस्य :-

(एक) वाइस-वासलर;

n

- (दो) प्रो-बाइस-बांसलर, यदि कोई नियुक्त हो;
- (तीन) समस्त ग्रैक्षणिक विभागों के विभागाध्यकः;
- (चार) समस्त शैक्षणिक केन्द्रों के निदेशक या समन्वयकर्ती;
- (पांच) पुस्तकालयाध्यक्ष;
- (छः) विश्वविद्यालय अनुवान श्रायोग, নই दिल्ली द्वारा नामजद एक व्यक्तिः
  - (सात) जारत तरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग का एक नामजद व्यक्ति;
- (भ्राठ) सिंद्रव, उत्तर प्रदेश सरकार, प्राविधिक शिक्षा विमान, या उत्तके द्वारा नामजय व्यक्ति, जो संयुक्त सिंद्रव के स्तर से कम का न हो;
  - (नी) समस्त संकायाध्यक्ष;
  - (दस) रजिस्ट्रार;

श्रेणी-दो-ग्रहपापकों के प्रतिनिधि:-

(ग्यारह) विश्वविद्यालय के पाँच ज्येष्ठतम प्रोफेसर;

(बारह) प्रत्येक शैक्षणिण विमाग से दो शध्यापक, सो ज्येष्ठताकम मुं, चत्रातुक्रम से, याइस-चांसलर द्वारा नामजद किये जायेंगें :

परन्तु क्षेत्रल ऐसे लेक्चरर नामजबनी के लिए पात्र होंगे जिन्हें लेक्चर के रूप में या सलकक्ष क्षमता में कम से कम तीन वर्ष का श्रनुषव हो;

श्रंणी-तीन-चांसलर के नामजद व्यक्ति :-

- (तेरह) वैज्ञानिकों, शिक्षाविवों, टेक्नालाजिस्टों, इंजीनियरों ग्रीर वास्तुविवों (श्राकिटेक्टों) में से चौतलर द्वारा नामजद पांच से ग्रनधिक व्यक्ति:
- (चीदह) विश्वविद्यालयों, तंस्थानों श्रीर महाविद्यालयों के, जिनमें इंजीनियरिय या टेक्नालाजी में छित्री पाठ्यक्रम हो, क्षमशः वाइसवांसलरों, निदेशकों श्रीर शिसिपलों में से वांसलर हारा नामजब पांच से श्रनधिक ' व्यक्ति;

अणो-चार-श्रीधोपिक या वाणिज्यिक संगठनों से प्रतिनिधिः -

- (पन्द्रह) राज्य सरकार द्वारा नामजद किये जाने वाले श्रीद्योगिक या वाणिज्यिक संगठनों के दो प्रतिनिधिः;
- (3) उपधारा (2) के खण्ड (बारह), (तेरह), (चीदह) ग्रीर (पश्वह) में निद्गिष्ट किसी सदस्य की प्यावधि तीन वर्ष होगी को उसकी नामजदगी के परवात् विद्या परिषय् की प्रथम बैठक होने के दिनोंग्न से प्रारम्भ होगी।
- (4) कोई व्यक्ति जो विद्या परिषद् का सदस्य (सहि निर्वाचन या नामजदगी द्वारा) कोई पद विशेष धारण करने के प्राधार पर हुआ हो, इस बात के होते हुये भी कि इसको पवावधि, यदि कोई हो, समान्त नहीं हुई है, ऐसे पद विशेष पर न रह जाने के कारण ऐसा सदस्य नहीं रह जायेगा।
- 19-ख-विद्या परिषद् इस ऎक्ट, नियमों क्रीर रेगुलेशनों के उपवन्धों के स्राधीन विद्या परिषद् को वहते हुमें --भारत स्रोर कर्तव्य
- (क) समस्त गैक्षणिक जियमों से संबंधित उपबन्धों हो रेगुलेशन में अस्तिमिलित किय जाने के लिये सिडीकेट को संस्तुति करेगी;

- (ख) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश श्रौर विश्वविद्यालय की परीक्षाश्रों का पर्यवेक्षण श्रौर नियंत्रण करेगी;
- (ग) शैक्षणिक विभाग ग्रीर शैक्षणिक केन्द्रों के सूजन या उत्सादन था म्रामेलन या विभाजन के लिये प्रस्तावों पर विचार करेगी ग्रीर सिंडीकेट को जनकी सिफारिश करेगी:
- (घ) विश्वविद्यालय में किये जा रहे या विए जा रहे शिक्षण, शिका, प्रशिक्षण और अनुसंधान के स्तर का नियंत्रण, विनियमन और अनुरक्षण करेगी;
- (ङ) अध्ययन बोर्ड के कार्य संचालन का समन्वयन करेगी स्नौर विशव-विद्यालय में शिक्षण श्रीर परीका की प्रणाली के सम्बन्ध में उनके प्रस्तावों की समीक्षा स्नौर धनुसोदन करेगी;
- (च) पी-एच0 डी 0 ग्रम्यथियों के एक्जाविनरों की सिकारिशों की संवीक्षा ग्रीर उनका श्रनुभोदन करेगी;
- (छ) श्रव्यापकों की संख्या श्रीर उनकी श्रर्हताश्रों श्रीर एवजानिनरों को देय फीस के सम्बन्ध में सिडीकेट को सला ुँदेगी;
- (ज) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के प्रमाण-पत्नों, डिप्लोमाओं भौर डिग्नियों की मान्यता के सम्बन्ध में जैसा कि नियमों और रेगु छेशनों में निर्धारित है, अनुमोदन करेगी;
- (झ) ऐसे विषयों पर विचार करेगी श्रीर श्रपनी सिकारिशें देगी जो सिनेट या सिडीकेट द्वारा उसकी निविध्ट किए जांग;
- (ञा) शंक्षणिक विषयों के सम्बन्ध सें समस्त ऐसे कर्तश्यों का पासन करेगी, जो इस ऐक्ट, नियमों ग्रीर रेगुलेशनों के उपबन्धों के समुचित कार्यान्वयन के लिए ग्रावश्यक हों;
- (ट) विश्वविद्यालय की शिक्षण पद्धति में सेवायोजक संगठनों द्वारा वदलाव की अपेक्षाओं का निर्धारण करने के लिए उनसे सम्पर्क बनाये रखेगी।
- 19-ग (1) वित्त समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, प्रणीत्— वित्त समिति
  - (क) बाइस-चांसलर;
  - (ख) प्रो-बाइस- चांसलर, यदि कोई नियुद्धत हो;
- (ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग या उसके द्वारा मामकाव . व्यक्ति को संयुक्त सचिव के स्तर से कम कान हो ;
- (घ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, प्राविधिक शिक्षा विभाग या उसके द्वारा नामजद व्यक्ति जो संयुक्त सचिव को स्तर से कम कान हो;
- (ङ) सिंडीकेट के संकरण द्वारा नामजद किए जाने वाले पांच व्यक्ति जिनमें से दी सिंडिकेट के सदस्यों से शिक्ष ऐसे व्यक्ति होंगे जिनकी शिक्षा और वित्त में किंच हो:
  - (च) मुख्य लेखा प्रधिकारी;
  - (छ) रजिस्ट्रार।
- (2) खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट सब्ह्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी को उसकी नामजदगी के पश्चात् वित्त सिमिति की प्रथम बैठक होने के विर्नाक से प्रारम्म होगी:

परन्तु कोई व्यक्ति जो सिडीकेट का सदस्य होने के द्वाधार पर सदस्य हुआ हो। इस बात के होते हुए भी कि उसकी पदावधि यदि कोई हो, समाप्त नहीं हुई है, सिडीकेट का सदस्य न रह जाने के कारण ऐसा सदस्य नहीं रह जायेगा।

- 19-- घ (1) वित्त सिमिति इस ऐबट, नियमों ध्रीर रेगुलेशनों के उपबन्धों के वित्त सिमिति को प्रधीन रहते हुये निम्निलिखत शक्तियों का प्रयोग शक्ति ध्रीर कर्नव्यों का सम्पादन करेगी:-- कर्तव्यों कर्तव्यों कर्तव्यों कर्तव्यों
- (क) विश्वविद्यालय के वाधिक घजट को बनाना ग्रीर उसके लिए निधि का ग्रावंटन;
  - (ख) सहायता अनुदान से भिन्न अतिरियत ग्राय के स्रोतों को उत्पन्न करना;

(ग) विश्वविद्यालय निधिका विनियोजन करने ये लिये विश्य-विद्यालयको सलाह देना;

- (ध) ऐसे अन्य विषय जो उसे जिडीकेट द्वारा विदिष्ट किये जाया।
- (2) वित्त समिति को ऐसी अन्य शविष्ठयां और कर्तव्य होंगे जो नियमों के क्षित्र उसे सींपे जांय।"

15--मूल अधिनियम की धारा 28 ग्रीर 29 के स्थान पर निम्नलिखित धाराय रेख दी जागॅगी, शर्यात्--

खारा 28 सीर 29 का प्रतिस्थापन

' "28--उत्तर श्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) प्रीर्धिनयन, 1997 के संक्रमणकालीन प्रारम्भ होने पर--उपवन्ध

- (एक) राज्य सरकार, यथाशतय शीद्य किन्तु ऐने शारम्स से एक वर्ध के पश्चात् नहीं, घारा 19-क के उपबन्धों के शनुसार विद्या परिषद् के गठन के लिये कार्यवाही करेगी श्रीर जब तक विद्या परिषद् का इस प्रकार गठन न हो जाय, तब तक विद्या परिषद् के कृत्यों का पालन सिडीकेट द्वारा किया जायना;
- (दो) सिनेट के सदस्य (उनसे भिन्न जो निश्वविद्यालय के श्रफ्त सर या ग्राजीवन सदस्य हों) ऐसे सदस्य के रूप में पद पर नहीं रहेंगे और राज्य सरकार यद्यासक्य शीप्र किन्तु ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष के पश्चात् नहीं, धार्न-16 के उपबन्धों के श्रनुसार सिनेट के पुनर्गठन के लिये कार्यवाही फरेगा श्रीर ज्व तक ऐसा पुनर्गठन न हो जाय तब तक सिनेट में प्रदेन सदस्य, झाजीवन नदस्य ग्रीर सिडीकेट के ऐसे सदस्य होंगे जो खण्ड (तीन) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नामजद किये गये हों;
- (तीन) वाइस-बांसलर और प्रो-वाइस-बांसलर से जिन्न सिंहीकेट के सदरम, ऐसे सदस्य के रूप में पद पर नहीं रहेंगे और राज्य सरकार, प्रधानप्रय श्री प्रा; किन्तु ऐसे प्रारम से एक वर्ष के एपजात नहीं, धारा 18 के उपज्यों के प्रमुत्तार सिंडीकेट के धुनर्गठन के लिये कार्यवाही करेगी और जब तक ऐसा पुनर्गठन न हो जान तथ तक लिडीकेट में बाइस-चीसलर, प्रो-वाइस-चीसलर, छात्र-कल्याण का संकायाध्यक्ष, सिंबब, उत्तर प्रवेश सरकार, प्राविधिक शिक्षा विभाग और ऐसे सदस्य होंगे को धारा 18 की उपधारा (2) के खण्ड (ग), (इ), (च) (छ) श्रीर (ज) में निर्विट श्रेणियों का प्रतिनिधित्य करने के लिये राज्य सरकार द्वारा नामक्य किये गये हों।
- 29-—(1) चांसलर के सिवाय, जिञ्चिवद्यालय का कोई अकसर विश्विद्यालय अधिमार के दिशो धन वा सम्पत्ति को हानि, दुर्ध्य या दुर्पयोजन के इतिमार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्ध्य या दुर्पयोजन ऐसे अफसर के इप में कार्य करते हुये उसकी उपेका या कहात्त्ररण का प्रत्यक्ष परिणाम हो;
- (2) शिष्टकार को प्रक्रिया और ऐसी हाति, दुव्यंत्र या दुव्ययोजन में सन्तर्पस्त घमराणि की वसूली की रीहि ऐसी होगी, जैसी राज्य सरमार द्वारा अधिसूचित झावेश द्वारा निर्धारित की जाम।"

16 - - मूल इ.विनियम की घारा 31 के स्थान पर निस्तिति खिल घारा रख दी जायेगी,

"31—(1) यवि इस अधिनियम के उपवन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई कि कठिनाईयों को उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार उत्तर प्रदेश उक्की कठिनाईयों को जिल्लाई तिक्विद्यालय (तिक्षोधन) धिधिनियम, 1997 के प्रारम्भ होने से हो वर्ष की अविध के जीतर, प्रक्रिक्त सुचित अदिश हारा, ऐते उपवन्ध कर सकती है जो अधिनियम, 1997 हारा यशासंशोधिय इस अधिनियम के उपवन्धों से असंग्रह में हो, और जो उसे कठिनाई को दर करने के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

घारा 31 का प्रतिह्यायन

(2) उन्धारा (1) से स्वीन दिया गया प्रत्येक ग्रादेश राज्य विधान मण्डल के दोनों लंबनों के समझ, वर्वाशक्य बीत्र रखा लागेगा और उत्तर प्रदेश लाधारण खण्ड द्धितियम, 1904 की धारा 23-क की उपबारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिल प्रकार वे उत्तर प्रदेश के किसी प्रधितियम से प्रधीन राज्य नरकार हारी इसमें गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।"

संगोधन

17--पूस अधिनियम की धारा 32 में शब्द 'मिलीकेट वा सिनेट'' के स्थान पर सब्द ''तितेट, सिडीकेट, वित्त समिति या विद्या परिषद्'' रह विये जायेंगे।

> आजा चे. र्विन्द्र दयाल माथ्र, विक्षेण समिव।

# No. 425 (2)/XVII-V-1-1(KA)-15-1997 Dated Lucknow, February 23, 1998

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation the Uttar Pradesh Roofkee Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 1997 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 1998) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 10, 1998.

# THE UTTAR PRADESH ROORKEE UNIVERSITY (AMENDMENT)

ACT, 1997

(U. P. Acr No. 10 of 1998)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

further to amend the Roorkee University Act, 1947.

WHEREAS the University of Roorkee has a glorious heritage and traditions and has acquired an eminent status in the field of Engineering and Science education and research;

AND, WHEREAS it is necessary to constitute and Academic Council and a Finance Committee and reconstitute the Senate and the Syndicate of the University and to make other amendments in the Roorkee University Act for the smooth and more efficient working of the University with a view to develop it as a centre of excellence;

Now, THEREFORE, IT IS HEREBY enacted in the Forty-eighth Year of the Republic of India as follows :-

Short title and commencement

- (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Roorkee University (Amendment) Act, 1997.
- (2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

2. In the Roorkee University Act, 1947, hereinafter referred to as substitution of section 2 of U.P the principal Act, for section 2, the following section shall be Act no.9 of 1948 substituted, namely:—

# Definitions "2. In this Act,-

- (a) 'Academic Council' means the Academic Council of the University;
- (b) 'Academic Department' means a teaching Department of the University in which instructions are imparted leading to Bachelor's or Post Graduate Degree or Diploma;
- (c) 'Academic Centre' means a School, a Centre, a Laboratory, an Institute or the like, established by the University, in which research, teaching or training is carried out but which is not covered under clause (b);
- (d) Board of Studies' means the Board of Studies of an Academic Department or an Academic Centre constituted in accordance with the regulations;
- (e) 'Dean' means a Dean appointed in accordance with the regulations;
- (f) 'Director or Co-ordinator' means the Director or Co-ordinator of an Academic Centre appointed as such in accordance with the regulations;
- (g) Finance Committee' means the Finance Committee of the University;
- (h) 'Head of the Academic Department' means the Head of an Academic Department appointed in accordance with the regulations;
- (i) 'Hostel' means a unit of residence for the students of the University maintained or recognised by the University;
- (j) 'Registered Graduate' means a graduate registered according to rules framed by the Syndicate under section 20;
- (k) 'Regulation' means a regulation framed by the syndicate under section 21:
- (1) 'Rule' means a rule framed by the Syndicate under section 20;
- (m) 'Teacher' means a Professor, Associate Professor, Assistant Professor, Reader, Lecturer or any other person imparting instructions in the University;
- (n) University means the Roorkee University established under this Act."
- 3. In section 3 of the principal Act, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

Amendment of section 3

Chancellor, if any, and the members of the Senate, the Syndicate, the Academic Council and the Finance Committee, for the time being holding office as such in the University shall constitute a body corporate by the name of the University of Roorkee."

Amendmean of section 4

- 4. In section 4 of the Principal Act,—
  - (i) in clause (2), for sub-clause (a), the following sub-clauses shall be substituted, namely:—
    - "(a) have pursued a course of study in the University or partly in the University and partly in any institution approved in that behalf by the University; or
    - (aa) have carried on research in the University or in any institution approved in that behalf by the University; or";
  - (ii) in clause (6), after the word "Professorships," the words "Associate Professorships, Assistant Professorships," shall be inserted:
  - (iii) the following proviso shall be inserted at the end namely:

"Provided that the University shall not transfer any immovable property by way of sale, gift, mortgage or lease for a period exceeding thirty years, without the previous approval of the State Government."

Insertion of new section 7-A

- 5. After section 7 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—
  - "7-A. (1) There shall be a Review Committee of the UniverReview Committee sity to review the over all performance of the University.
  - (2) The Committee referred to in sub-section (1) shall consist of nine members to be nominated by the Chancellor from amongst the persons who have excelled in the field of engineering, technology or science.
  - (3) The members of the Review Committee shall hold office at the pleasure of the Chancellor and shall get such facilities and honorarium as may be prescribed by the rules.
  - (4) Subject to sub-section (1), the Committee referred to therein shall at the end of every three years from the date of commencement of the Uttar Pradesh Roorkee University (Amendment) Act, 1997 independently review the academic performance of the University and submit its report to the Chancellor who may take such actions thereon as he may deem expedient and necessary under the Act."

Substitution section 10

- 6. For section 10 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—
  - "10. (1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor out of a panel of a minimum of three engineers, scientists or technologists, nominated by a Committee consisting of the President of Indian National Academy of Engineering or President of the Institution of Engineers (India), and two other members appointed by the State Government. The Vice-Chancellor shall hold office on such terms and subject to such conditions as may be prescribed by the rules.

- (2) Where any temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reasons of leave, illness or any other cause, and—
  - (i) such vacancy is for a period not exceeding two months the Pro-Vice-Chancellor, if any, appointed or if there is no Pro-Vice-Chancellor or the Pro-Vice-Chancellor too is absent, the senior-most Professor of the University, shall exercise the powers and perform the duties of the Vice-Chancellor until the expiry of the period of two months or the vacancy in the office of the Vice-Chancellor is filled or the Pro-Vice-Chancellor, if any, takes over, whichever occurs first;
  - (ii) such a vacancy is for a period exceeding two months, the Chancellor may appoint any suitable engineer, scientist or technologist to the office of the Vice Chancellor for a term not exceeding six months, which may, from time to time, be extended up to a total period of one year, including the term fixed in the original order."
- 7. In section 11 of the principal Act,—

11 95 %

Amendment of section 11

- (a) in sub-section (1), for the words "Chairman of the Syndicate and" the words "Chairman of the Syndicate, Academic Council, and the Finance Committee and" shall be substituted,
- (b) in sub-section (3), for the words "Senate and the Syndicate" the words "Senate, the Syndicate, Academic Council and the Finance Committee" shall be substituted.
- 8. For section 12 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Substitution of section 12

- "12. (1) The Vice-Chancellor, if he considers necessary,
  The Provice- may appoint a Pro-Vice-Chancellor from
  Chancellor amongst ten senior most Professors of the
  University.
- (2) The Pro-Vice-Chancellor shall discharge his duties in addition to his duties as Professor.
- (3) The Pro-Vice-Chancellor shall hold office at the pleasure of the Vice-Chancellor.
- (4) The Pro-Vice-Chancellor shall get such facilities and honorarium as may be prescribed by the rules.
- (5) The Pro-Vice-Chancellor shall, assist the Vice-Chancellor in such matters as may be specified by the Vice-Chancellor, from time to time, shall exercise such powers and perform such duties as may be assigned or delegated to him by the Vice-Chancellor and shall in the absence of the Vice-Chancellor exercise the powers and perform the duties of the Vice-Chancellor."
- 9. In section 13 of the principal Act. for the words "Senate and the Syndicate" the words "Senate, the Syndicate the Finance Committee and the Academic Council and shall be appointed in the manner prescribed by rules," shall be substituted.

Amendment of section 13

Amendment of section 15

10. In section 15 of the principal Act, after clause (2), the following clauses shall be inserted, namely:—

"(2-a) The Academic Council;

(2-b) The Finance Committee".

Substitution of section 16

11. For section 16 of the principal Act, the following section that the substituted, namely:

"16. (1) The Senate shall consist of the following members.

The Senate namely:—

# CLASS I-Ex-officio Members:

- (i) the Chancellor;
- (ii) the Vice-Chancellor;
- (iii) the Pro-Vice-Chancellor, if any;
- (iv) the Secretary to the Government of Uttar Pradesh, in the Technical Education Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary;
  - (v) all Deans:
- (vi) all Heads of the Academic Departments and all Directors or Co-ordinators of Academic Centres;
  - (vii) the Registrar;

# CLASS II-Life Members:

- (viii) persons not exceeding three appointed by name by the Chancellor to be life; members on the ground that they have distinguished in or rendered meritorious service to engineering and technological science or education:
- (ix) all persons who have made donations of not less than ten lakh runees to or for the purposes of the University;
- (x) all other persons who are life members on the date of commencement of the Uttar Pradesh Roorkee University (Amendment) Act. 1997:

CLASS DI-Representatives of Parliament and State Legislature:

- (xi) two members of the Lok Sabha to be nominated by the Speaker of the Lok Sabha:
- (xii) one member of the Rajya Sabha to be nominated by the Chairman of the Rajya Sabha;
- (wiii) four members of Vidhan Sahha of the State to be elected by it:
- (min) two members of the Vidhan Parishad of the State to be elected by it:

# CLASS IV—Registered Graduates:

(cm) ten representatives of the registered graduates of the University to be elected in the manner prescribed by the rules;

# CLASS V-Representatives of the Teachers:

 $\Pi Si$ 

that Process .

artist makes

g Hi

19-4.

4 C .. . .

(xvi) thirty teachers of the University other than those who are already members in some other capacity, to be elected from amongst themselves. The number of different categories of teacher and the manner of their election shall be such as may be prescribed by rules:

Provided that a member once so elected shall not cease to be a member during the term for which he was so elected merely because he was appointed to any higher category of teachers;

CLASS VI—Representatives of Non-Teaching Employees:—

(xvii) four representatives of the Non-Teaching Employees of the University to be nominated by the Vice-Chancellor;

CLASS VII—Other members to be nominated by the State Government representing the following special interests or fields, namely:—

(xviii) one representative of the Institution of Engineers (India);

(xix) six representatives of the Public Sector Industries, Corporations, Research, Defence or other organisations;

(xx) three representatives of the private sector industries or organisations;

(xxi) one representative teach of the Railways and Itrigation and Public Works Departments of the State Government:

(xxii) two representatives of the industrial organisations in the neighbourhood of the University;

(xxiii) two representatives of the research institutions in the neighbourhood of the University;

(xxiv) two representatives of the professional bodies of various disciplines of the University;

(xxv) three representatives from amongst the Vice-Chancellors, Directors and Principals respectively of the Universities, Institutes and Colleges in the State having degree courses in Engineering or Technology.

(2) The term of office of a member of classes III, IV, V, and VII referred to in sub-section (1) shall be three years and of a member of class VI referred to in the said sub-section shall be one year, commencing from the date of first meeting of the Senate held after his election for momination, has the case may be.

(3) A person who became a member of the Senate (whether by election or nomination) by virtue of pholding da particular office, shall cease to be such member on ceasing to hold osuch office notwithstanding that his term if any, has not expired."

Substitution of section 18

. . . .

263

- 12. For section 18 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—
  - "18. (1) The Syndicate shall be the Executive Body of the The Syndicate University.
  - (2) The Syndicate shall consist of the following members, namely:
    - (a) the Vice-Chancellor;
    - (b) the Pro-Vice-Chancellor, if any appointed;
    - (c) three Heads of the Department and one Director or Co-ordinator of Academic Centres to be nominated by the Academic Council by rotation in the manner prescribed by the rules;
      - (d) the Dean of Students Welfare;
    - (e) nine representatives of teachers, other than those who are already members of the Syndicate in any other capacity, to be elected by the Senate. The number of the different catagories of teacher and the manner of their election shall be such as may be prescribed by the rules;
    - (f) four persons to be elected by the Senate from amongst such of its members as are not in the service of the University;
    - (g) two persons from amongst eminent engineers and architects not in the service of the University to be nominated by the Chancellor in the manner prescribed by the rules;
    - (h) two persons from amongst the eminent educationists and scientists not in the service of the University to be nominated by the Chancellor in the manner prescribed by the rules;
    - (i) the Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Technical Education Department or his nominee not below the rank of a Joint Secretary.
  - (3) The term of office of the members referred to in clauses (c), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2) shall be three years, commencing from the date of the first meeting of the Syndicate held after his election or nomination, as the case may be.
  - (4) A person who became a member of the syndicate (whether by election or nomination) by virtue of holding a particular office, shall cease to be such member on ceasing to hold such office, notwithstanding that his term if any, has not expired."

Amenament of section 19.3

- 13. In section 19 of the principal Act, for sub-section (3) the following sub-section shall be substituted namely:—
  - "(3) The Syndicate shall not take any decision in regard to the number and qualifications of teachers and the fees payable to the examiners without considering the recommendations of the Academic Council."

14. After section 19 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely :-

lasertion of new sections 19-A, 19-B, 19-C and 19-D

- "19-A (1) The Academic Council shall be the Principal The Academic Council Academic Body of the University.
- (2) The Academic Council shall consist of the following members, namely:-

# CLASS I—Ex-officio Members :-

- (i) the Vice-Chancellor;
- (ii) the Pro-Vice-Chancellor, if any appointed;
- (iii) all Heads of Academic Departments;
- (iv) all Directors or Co-ordinators of Academic Centres;
  - (v) the Librarian;

13 10 20

3167.97 8.11 27

11

· HEVIOLA

) #B :

F 11

លើ គើននិង ។

- (vi) one nominee of the University Grants Commission, New Delhi;
- (vii) one nominee of the Department of Education in the Ministry of Human Resource Development, Government of India;
  - (viii) the Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Technical Education Department or his nominee not below the rank of a Joint Secretary;
    - (ix) all Deans;
    - (x) the Registrar;

## CLASS II-Representatives of Teachers : ......

(xi) five senior most Professors of the University;

والمحاجر المحاجر والمراج

(xii) two teachers from each academic Department, nominated by the Vice-Chancellor by rotation in order of seniority:

5.118 Provided that only such Lecturers shall be eligible for nomination who have atleast three years experience as Lecturer or in equivalent capacity;

# CLASS III—Nominees of the Chancellor : 1971.

- (xiii) not more than five persons nominated by the Chancellor from amongst scientists, educationists, technologists, engineers and architects; "
- (xiv) not more than five persons, nominated by the Chancellor from amongst the Vice-Chancellors, Directors and Principals respectively of the Universities, Institutes and colleges, having degree courses in engineering or technology.

CLASS IV-Representatives of Industrial or Commercial Organisations :--Joseph M. S.

(xv) two representatives of the commercial organisations, to be nominated by the State Government. And the second

- (3) The term of office of a member referred to in clauses (xii), (xiii), (xiv) and (xv) of sub-section (2) shall be three years, commencing from the date of first meeting of the Academic Council held after his nomination.
- (4) A person who became a member of the Academic Council (whether by election or nomination) by virtue of holding a particular office shall cease to be such member on ceasing to hold such office, notwithstanding that his term, if any, has not expired.
  - 19-B. The Academic Council shall, subject to the provisions

    Powers and duties of the Academic council

    mic council
    - (a) recommend to the Syndicate provisions relating to all academic matters for inclusion in the regulations;
    - (b) supervise and control the admission of students in the University and the examinations of the University;
    - (c) consider and recommend to the Syndicate, proposals for the creation or abolition or merger or division, of the Academic Departments and Academic Centres;
    - (d) control, regulate and maintain the standards of instruction, education, training and research carried on or imparted in the University;
    - (e) co-ordinate the working of Boards of Studies and scrutinize and approve their proposals in regard to the scheme of teaching and examinations in the University;
    - (f) scrutinize and approve the recommendations of the examiners of Ph. D. candidates;
    - (g) advise the Syndicate in regard to the number and qualifications of teachers, and the fees payable to the examiners:
    - (h) approve in regard to the recognition of the certificates, diplomas and degrees of other Universities and Institutions, as prescribed in the rules and the regulations;
    - (i) consider and make its recommendations on such matters as may be referred to it by the Senate or the Syndicate;
    - (j) perform in relation to academic matters all such duties as may be necessary for the proper carrying out of the provisions of this Act, the rules and the regulations:
    - (k) maintain contact with employer organisations with a view to, assess their changing needs for the pattern of education required to be imparted by the University.
  - 19-C (1) The Finance Committee shall consist of the follo-The Finance Comwing person namely:—
    - (a) the Vice-Chancellor.
    - (b) the Pro-Vice-Chancellor, if any appointed;
    - (c) the Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Finance Department or his nominee not below the rank of a Joint Secretary;

- (d) the Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Technical Education Department or his nominee not below the rank of a Joint Secretary:
- (e) five persons to be nominated by the Syndicate by a resolution out of whom two shall be the persons other than the members of Syndicate, who have interest in education and finance; 7.
  - (f) the Chief Accounts Officer;
  - (g) The Registrar.
- (2) The term of the office of members referred to in clause (e) shall be three years commencing from the date of first meeting of the Finance Committee after their nomination:

Provided that a person who became the member by virtue of being a member of the Syndicate shall cease to be such member on ceasing to be a member of the Syndicate, notwithstanding that his term, if any, has not expired.

- 19-D (1) The Finance Committee shall, subject to the provisions of this Act rules and the regulations s and duties exercise the following powers and perform the Finance Commifollowing duties
  - (a) framing of annual budget of the University and allocation of funds therefor;
  - (b) generating sources of additional income other than the grant-in-aid:
  - (c) to advise the University on the investment of University Funds;
  - (d) such other matters as may be referred to it by the Syndicate.
- (2) The Finance Committee shall have such other powers and duties as are assigned to it under the rules.""
- For sections 28 and 29 of the principal, Act, the following sections 28 and sections shall be substituted namely:-

2.5

sections 28 and

- "28. Upon the commencement of the Uttar Pradesh Roorkee Transitory University (Amendment), Act. 1997provisions
- (i) the State Government shall, as soon as may be, but not later than one year from such commendement take steps for the constitution of the Academic Council in accordance with the provisions of section 19-A and until the Academic Council is so constituted the functions of the Academic Council shall be performed by the Syndicate;
- (ii) The members of the Senate! (other than those who are officers of the University or life members) shall cease to hold office as such members and the State Government shall, as soon as may be, but not later than one year from such commencement, take steps for the reconstitution of the Senate in accordance with the provisions of section 16 and until such reconstitution of the Senate shall consist of the Em-officio members, the life members and such members of the Syndicate as are nominated by the State Government under clause (iii) of section 16:

- (iii) the members of the Syndicate other than the Vice-Chancellor and Pro-Vice-Chancellor shall cease to hold office as such members and the State Government shall, as soon as may be, but not later than one year from such commencement, take steps for the reconstitution of the Syndicate in accordance with the provisions of section 18 and until such reconstitution the Syndicate shall consist of the Vice-Chancellor, the Pro-Vice-Chancellor, the Dean of Students welfare, the Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Technical Education Department and such members as may be nominated by the State Government to represent the classes referred to in clauses (c), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2) of section 18.
- 29. (1) An officer of the University except the Chancellor shall be liable to surcharge for the loss, waste or misapplication of any money or property of the University, if such loss, waste or misapplication is a direct consequence of his neglect or misconduct, while acting as such officer.
- (2) The procedure of surcharge and the manner of recovery of the amonut involved in such loss, waste or misapplication shall be such as may be prescribed by the State Government by notified order."

Substitution of action 31

- 16. For section 31 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:
  - sions of this Act, the State Government may, within a period of two years from the commencement of the Uttar Pradesh Roorkee University (Amendment) Act, 1997 by notified order, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as amended by the said Act of 1997, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

"31. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provi-

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid as soon as may be before both the houses of State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply, as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act."

Amendment of section 32

17. In section 32 of the principal Act, for the words "Syndicate or the Senate" the words "Senate, the Syndicate, the Finance Committee or the Academic Council" shall be substituted.

By order, R. D. MATHUR, Pramukh Sachiv.

पीएस 0य 010--ए 0 पी 0 232 सा 0 विद्या 0-- (2439)-- 1998-- 850 (मैक)।